

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4-136/सात-1/2013  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 01/01/2014

समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़


विषय:- वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने बावत।  
संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 7-39/2001/10-2/दिनांक 13  
दिसम्बर, 2013, पत्र क्रमांक एफ 4-136/सात-1/2013 दिनांक 23  
दिसम्बर, 2013 एवं पत्र क्रमांक एफ 6-398/सात-1/2013 दिनांक 26  
दिसम्बर, 2013 तथा अधिसूचना क्र. एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक  
01.01.2014

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। वन  
ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।  
राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01  
जनवरी, 2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 90 एवं 91  
के अधीन राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त  
की गई है। उपरोक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाइट **WWW.cg.intrevenue** में  
उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के अंतर्गत वन ग्रामों  
को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की कार्यवाही करने हेतु आपके स्तर से जारी किये  
जाने वाले अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ) का प्रारूप भी संलग्न है।

अतएव राज्य शासन के उपरोक्तानुसार जारी किये गये निर्देशों तथा  
प्रावधानों के तहत वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की तत्काल कार्यवाही किया  
जाये तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(के०आर०पि०स्दा)  
सचिव 1/1/2014  
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
रायपुर, दिनांक 01/01/2014

पृ० क्रमांक एफ 4-136/सात-1/2013

प्रतिलिपि:- समस्त संभागीय आयुक्त(रा) छत्तीसगढ़  
2/ संचालक, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर

  
सचिव 1/1/2014  
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

**Office of the Collector, District.....(C.G.)**

**//NOTIFICATION//**

..... dated. / /2014

No. / /2013 Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee..... (Name of District) under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers ( Recognition of Forest Rights ) Act, 2006 (No. 2 of 2007):

And whereas as per the Revenue Department's Notification No F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under Section 90 reas with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S.No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			North				
			South				
			East				
			West				

Collector  
District.....(C.G)

कार्यालय कलेक्टर जिला.....(छत्तीसगढ़)

//अधिसूचना //

दिनांक / / 2014

क्रमांक / /2013- यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति.....(जिले का नाम) के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम ,इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेक्टेयर में )	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			उत्तर				
			दक्षिण				
			पूर्व				
			पश्चिम				

कलेक्टर,  
जिला.....(छ.ग.)